न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 197/2022

विनोद कुमार पुत्र बलराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी मंदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री विनोद कुमार – – प्रार्थी स्वयं
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–26.07.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 7 डी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 77/40 के पत्थर नम्बर 0 के मु.न. 60/44 के किला नम्बर 11 ता 15 नहरी सालम–सालम किला नम्बर 16 ता 19 बारानी सालम, किलः नम्बर 20 नहरी सालम, किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर बारानी कुल 3.6690 हैक्टर नहरी बारानी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 संलग्न प्रार्थना पत्र है । उपरोक्त रकबा जो प्रार्थी के नाम नहरी, बारानी खातेदारी दर्ज है वह पूर्व में प्रार्थी के नाम नहरी दर्ज था । जमाबंदी सम्वत् 2006 वर्ष 1949 1950 साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है । सम्वत् 2027 में भू–प्रबंध विभाग की जमाबंदी तैयार करते सैक्टलमेंट के वक्त उक्त मुरब्बा में दर्ज समस्त नहरी रकबा में से किला नम्बर 16 ता 19 व 21 ता 25 रकबा सहवनवंश बारानी दर्ज हो गया । जबकि ना तो नहरी विभाग का कोई ऐसा आदेश था और ना ही भू–प्रबंध विभाग को ऐसी अधिकारिता थी कि वह बिना सक्षम अदालत के आदेश के रकबा बारानी दर्ज करे। नकल भू–प्रबंधक विभाग की संलग्न वाद पत्र है । उपरोक्त रकबा जो मोरूसी रकबा है तथा नहर आने के बाद से यह रकबा नहरी दर्ज है तथा इस रकबा की पानी की पर्ची प्रार्थी के नाम से बंधी हुई है और इस रकबा की नहरी गिरदावरी प्रार्थी के नाम से है तथा नहरी विभाग में भी यह रकबा नहरी दर्ज है। नहरी विभाग का सी सी ए रिकार्ड व पानी की पर्ची संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार को कई बार मौखिक निवेदन किया गया कि वह सहवनवंश हुई त्रुटि को दुरूस्त कर दे पहले तो [illegible] टालमटोल करते रहे तथा आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे [illegible] वह दुरूस्ती करने का अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है आप सक्षम अधिकारी [illegible] आदेश ला दो। में इस रिकार्ड की गलती को दुरूस्त नहीं करता [illegible] बस यही बिनाए प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थी को अप्रार्थी के खिलाफ हासिल हुआ है [illegible] प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित कोर्ट फीस पर समयवधि में प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डी बड़ी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर के खाता संख्या 77/40 के पत्थर को एवम् नम्बर 0 के मु.न. 60/44 के किला नम्बर 16 ता 19 बारानी सालम को एवम् किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.228 हैक्टर बारानी रकबा को नहरी रकबा अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत मुझ प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 1730 दिनांक 22.03.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार चक 7 डी बडी के मिसल बंदोबस्त संवत 2026 में मु.नं. 60 के क.नं. 16 ता 19 व कि.नं. 21 ता 25 नहरी दर्ज है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2070–2073 चक 7 डी बडी, पटवार हल्का मंदेरा, भू.अ.निरीक्षक शिवपुर खाता संख्या 77/40, जमाबंदी संवत 2001 चक 7 डी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 17/34, जमाबंदी संवत 2006 चक 7 डी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 44, प्रमाणित जमाबंदी सम्वत 2050–2053 चक 7 डी बडी खाता संख्या 22/27, जमाबंदी संवत 2010–2023 चक 7 डी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/47, जमाबंदी संवत 2026–2035 चक 7 डी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 10, प्रमाणित मिलान क्षेत्रफल चक 7 डी बडी, प्रार्थी का आधार कार्ड की प्रतियां का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 7 डी बडी, पटवार हल्का मंदेरा, भू.अ.निरीक्षक शिवपुर खाता संख्या 77/40 मुरबा नं. 60 के किला नम्बर 16 ता 19 (प्रत्येक में 0.253 हैक.)बारानी सालम को एवम् किला नम्बर 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.2280 हैक.) किला नं. 25 में 0.2270 हैक्टर बारानी रकबा को संशोधित कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बारानी के स्थान पर नहरी रकबा दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। शेष भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested

(जीतू कुल्हरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner